बिहार सरकार

**योजना एव विकास विभाग**

**संकल्प**

विषयः **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका–2014 की कंडिका 5(ii), 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3 एवं 8.7 में संशोधन।**

"मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना" की संशोधित मार्गदर्शिका–2014 में योजनाओं के चयन का सिद्धान्त के अनुसार प्रति विधान मंडल सदस्य प्रति वर्ष दो करोड रूपये की सीमा तक की योजनाओ की अनुशसा करने का प्रावधान है।

मुख्यमत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित एवं राज्यपाल द्वारा मनोनीत माननीय विधान परिषद् सदस्य के लिए प्रत्येक वर्ष एक जिला का चयन का प्रावधान सशोधित मार्गदर्शिका–2014 में अकित है।

विगत दिनों निर्माण सामग्रियो के मूल्य मे बढोतरी के कारण विधान मंडल सदस्यो के द्वारा प्रति वर्ष प्रावधानित दो करोड रूपये से विधान मडल निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के क्षेत्रीय सतुलन बनाये रखने मे कठिनाई हो रही है। इस सदर्भ मे मुख्यमत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रति विधानमंडल सदस्य प्रति वर्ष तीन करोड रूपये की सीमा तक योजनाओ की अनुशसा करने एव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित एवं राज्यपाल द्वारा मनोनीत माननीय विधान परिषद् सदस्य के लिए प्रत्येक वर्ष अधितकतम दो जिला के चयन करने के प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत मुख्यमत्री क्षेत्र विकास योजना की सशोधित मार्गदर्शिका–2014 की कंडिका 5(ii), 7 1, 7 2, 8 1, 8 2, 8.3 एव 8.7 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है .–

5(ii)– बिहार विधानसभा से निर्वाचित एवं राज्यपाल द्वारा मनोनीत बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यों के द्वारा निर्धारित समयावधि के अंदर वित्तीय वर्ष 2018–19 से राज्य के अधिकतम 2(दो) जिलो का चयन किया जा सकता है एव जिला चयन के साथ जिलावार राशि कर्णाकण की सूचना निर्धारित समयावधि के अंदर देना होगा। इस कोटि के माननीय सदस्य द्वारा एक वित्तीय वर्ष के बाद इच्छा के अनुसार जिला परिवर्तन एव परिवर्तित जिलावार राशि का कर्णाकण किया जा सकता है।

7 1– इस कार्यक्रम के तहत प्रति विधान सभा, सदस्य वित्तीय वर्ष 2018–19 से तीन करोड रूपये की सीमा तक की योजनाओं की अनुशसा करेगे। परन्तु इस कार्यक्रम के तहत विधानसभा के सदस्य संबंधित विधानसभा क्षेत्र के भौगोलिक सीमा के अधीन ही अपनी योजनाओ की अनुशसा करेगे।

7.2– इस कार्यक्रम के तहत प्रति विधान परिषद् सदस्य भी वित्तीय वर्ष 2018–19 से तीन करोड रूपये की सीमा तक की योजनाओं की अनुशसा कर सकेगे।

8 1– इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार वित्तीय वर्ष 2018–19 से तीन करोड रूपये प्रति वर्ष का आवटन देय होगा।

8.2– विधान परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रवार वित्तीय वर्ष 2018–19 से तीन करोड रूपये प्रति वर्ष का आवंटन देय होगा।

8.3– विधान परिषद् के उन निर्वाचित सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र राज्य के कई जिलों में विस्तारित होगा उन्हें भी वित्तीय वर्ष 2018–19 से तीन करोड रूपये प्रतिवर्ष आवटन देय होगा। उनसे जिलावार अनुशसा के आलोक मे आवटित राशि का प्रतिशत निर्धारित किया जायेगा। यदि जिलावार प्रतिशत 15 जून तक प्राप्त नही हो पाता है तो निर्वाचन क्षेत्र मे आने वाले जिलो की जनसंख्या के अनुसार विभाजित राशि के अनुरूप आवंटन दिया जायेगा।

8.7– माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद जो बिहार विधानसभा से निर्वाचित है अथवा राज्यपाल द्वारा मनोनीत हैं, वे वित्तीय वर्ष 2018–19 से राज्य के अधिकतम दो जिलो को इस कार्यक्रम के लिए चयनित करेंगे तथा उन्हें भी इस कार्यक्रम के अतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 से तीन करोड रूपये का आवटन प्रतिवर्ष देय होगा। वे वित्तीय वर्ष के उपरांत चयनित जिलों के

स्थान पर अन्य जिलो का चयन कर सकते है परन्तु यह इस शर्त के साथ किया जा सकता है कि जिलों में बदलाव की परिस्थिति में पूर्ववर्त्ती जिलों में क्रियान्वित की जा रही योजनाओ के वित्तीय दायित्व की पूर्ति के उपरांत अवशेष राशि ही माननीय सदस्य के द्वारा चयनित जिलों मे उनकी अनुशसा के आलोक में हस्तांतरित होगी।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

09/08/18

**(राजेश्वर प्रसाद सिंह)**
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक. यो03/मु.क्षे.वि.यो.–1/2010–3924 /यो.वि.,पटना, दिनाक 10 अगस्त, 2018
प्रतिलिपिः बिहार विधान मण्डल के माननीय सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

09/08/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक. यो03/मु.क्षे.वि.यो.–1/2010–3924 /यो वि.,पटना, दिनाक 10 अगस्त, 2018
प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मत्री के सचिव, बिहार/विभागीय मत्री के आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/08/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाकः यो03/मु.क्षे.वि.यो.–1/2010–3924 /यो वि.,पटना, दिनाक 10 अगस्त, 2018
प्रतिलिपिः सचिव, योजना एव विकास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/08/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो03/मु.क्षे.वि.यो.–1/2010–3924 /यो.वि.,पटना, दिनाक 10 अगस्त, 2018
प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/08/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक यो03/मु.क्षे.वि.यो.–1/2010–3924 /यो.वि.,पटना, दिनाक 10 अगस्त, 2018
प्रतिलिपि. मुख्य अभियता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियता/सभी सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/08/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक· यो03/मु.क्षे.वि यो.–1/2010–3924 /यो.वि.,पटना, दिनाक 10 अगस्त, 2018
प्रतिलिपि. प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को ई–गजट मे प्रकाशनार्थ सी0डी0 एव दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

09/08/18
सरकार के अपर सचिव